अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 2015

का.आ.1582(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के अंतर्गत जारी की गयी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 3.02.2006 की अधिसूचना सं. का. आ.135 (अ) द्वारा केन्द्र सरकार ने "महावीर इंटरनेशनल, 6550, मेन कुतुब रोड, नबी करीम, नई दिल्ली-110055" द्वारा " चिकित्सक आपके द्वार" की परियोजना को 2.40 करोड रूपये की अनुमानित लागत से वर्ष 2005-2006, 2006-2007 और 2007-2008 की तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 6 पर अधिसूचित किया था; जिसे आगे दिनांक 21-01-2009 की अधिसूचना सं. का. आ. 237 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-2009 से प्रारंभ होने वाली अर्थात् 2008-2009, 2009-2010 और 2010-2011 की तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था; जिसे आगे दिनांक 27-4-2011 की अधिसूचना सं. का. आ. 870 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-2014 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था और जिसे आगे दिनांक 06-01-2015 की अधिसूचना सं. का. आ. 54 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-2017 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया था;

और जबकि दिनांक 3-02-2006 की अधिसूचना सं. का. आ.135 (अ) में संशोधन करते हुए दिनांक 27-04-2011 की अधिसूचना सं का. आ. 870 द्वारा परियोजना लागत को 2.40 करोड रूपये से बढाकर 8.40 करोड़ रूपये कर दिया गया था;

और जबकि अनुमोदन की शेष अवधि के लिए अर्थात् 2016-17 तक के लिए, परियोजना लागत को 8.40 करोड़ रुपये से बढकर 16.40 करोड़ रुपये होने की संभावना है।

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप नियम (5) के अंतर्गत परियोजना लागत को 8.40 करोड रुपये से बढाकर आवर्ती व्यय के लिए 16.40 करोड़ रुपये करने की सिफारिश है।

इसलिए, अब, केन्द्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (ख) उक्त अधिसूचना सं. का. आ.135 (अ) द्वारा दिनांक 3.02.2006 में निम्नलिखित प्रभाव हेतु संशोधन करती है, नामत: -

उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम सं. 6 के कॉलम (4) में, जोकि धारा 35 क ग के अन्तर्गत कटौती के रूप में अनुमत्य लागत की अधिकतम राशि से संबंधित है, में '' 8.40 करोड़ रुपये'' अक्षरों, आंकड़ों और शब्दों के स्थान पर '' 16.40 करोड़ रुपये'' अक्षर, आंकड़े और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं.153/2015/फा. सं.वी -27015/1/2015 एस ओ(रा. स.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव(राष्ट्रीय समिति)